

की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
23/11/2020	आदेश प्रस्तुत पी०ए० वाद संख्या-18/2018-19 आवेदक-गणेश सोरेन, पिता-स्व० कैलाश सोरेन, साकिम-दर्वे, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-दर्वे, थाना नं०-235 का प्रधान नियुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, मधुपुर से ज्ञापांक-23/डी०बी० दिनांक-08.01.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांगी की गई, जो उनके पत्रांक-375/रा० दिनांक-09.10.2020 के माध्यम से प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मौजा के 16 आना रैयतों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, मधुपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-दर्वे, थाना नं०-235 एक प्रधानी मौजा है, जिसका खतियानी प्रधान गोगा सोरेन, पिता-पाण्डू सोरेन थे। खतियानी प्रधान गोगा सोरेन के मृत्यु के पश्चात् श्री कैलाश सोरेन, पिता-स्व० साधु सोरेन उक्त मौजा के सोलह आना रकम के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु दिनांक-22.09.2018 को हो गई। आवेदक गणेश सोरेन अंतिम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनकी उम्र-40 वर्ष तथा अष्टम उर्तीण है। उक्त मौजा में कुल जमाबंदी रैयतो की संख्या-40 एवं कुल लगान-937/- रुपया अलावे सेस है। आवेदक को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त होने में सोलह आना रैयतो को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक प्रधान पद के लिये योग्य, कर्मठ एवं युवा व्यक्ति है। फलतः अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा आवेदक को वंशानुगत के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-दर्वे, थाना नं०-235 के सोलह आना रकम का प्रधान के पद पर नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किये हैं। अतः अंचल अधिकारी, मधुपुर से प्राप्त अनुशंसा एवं मौजा के किसी रैयत से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के आधार पर आवेदक-गणेश सोरेन, पिता-स्व० कैलाश सोरेन, साकिम-दर्वे, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत वंशानुगत के आधार पर मौजा-दर्वे, थाना नं०-235 का सोलह आना रकम का प्रधान नियुक्त किया जाता है। तदनुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	21/6/2021 क्रमांक 3-4-21